धारा 57-क

निर्वाचनों को मुल्तवी करने की राज्य सरकार की शक्ति -

(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, समय समय पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को एक समय में एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि केलिये, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मुल्तवी कर सकेगी :

परन्तु सम्पूर्ण कालावधि कुल मिलाकर तीन वर्ष छः मास से अधिक नही होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी कर दिये जाने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(क) कोई भी निर्वाचन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के दौरान नहीं किया जायगा ;

(ख) निर्वाचन कार्यवाहियाँ चाहे वे किसी भी प्रकम पर हों, निराकृत हो जायेंगी ; और

(ग) सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिये अभ्यर्थियों द्वारा किये गये निक्षेप उन्हें वापस कर दिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण -
इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "निर्वाचन कार्यवाहियां" से अभिप्रेत है वह प्रकिया जो उस तारीख से प्रारम्भ होती हो जिसको कि निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन करने के लिये अपेक्षा की गयी हो तथा तब समाप्त होती हो जबकि निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दी जाये।

धारा 58.

हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन आदि के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का दायित्व -

(1) यदि, धारा 54 के अधीन की गई जॉच या किये गये निरीक्षण के अनुक्रम में या इस अधिनियम के अधीन की गयी संपरीक्षा के अनुक्रम में यह पाया जाय कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे किसी मण्डी समिति का प्रबंध सौपा गया है या सौपा गया था या मण्डी समिति के किसी मृत, भूतपर्वू या वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, भारसाधक अधिकारी,, मण्डी समिति के सचिव या उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या

(ग) वह इस प्रकार निर्वाचित किए जाने के लिए अन्‍ . निरर्हित नहीं किया गया है;

[1](गग) उसकी दो से अधिक जीवित संतान नही है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो :

परन्तु कृषकों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जायेगा यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाए जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है.]

(3) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए निरर्हित हागा यदि वह पंचायत राज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 36 के अधीन किसी पंचायत के पदधारी होने के लिए निरर्हित है;

(4) कोई भी व्यक्ति यथास्थिति एक से अधिक मण्डी समिति या निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए पात्र नही होगा।}

[2]{ **धारा 12.**

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन -

(1) अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उन व्यक्तियों द्वारा जो कृ . और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत देने के लिये अर्हित है, विहित रीति में चुना जाएगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रुप में निर्वाचन के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब कि कि वह धारा-11ख की उपधारा (2) और (3) के अधीन निर्वाचित किये जाने के लिये अर्हित न हो।

(2) अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात राज्य में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य वही होगा जो कि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा मण्डी समितियों के लिये विहित रीति में आवंटित किए जाएंगे।

(3) अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे और ऐसे स्थान उन मण्डी समितियों को, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित नहीं है, प्रबंध संचालक द्वारा विहित रीति में आवंटित किये जायेंगे।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन आरक्षित किये गये अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति‍ अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे।

[1] संशोधन अधिनियम क. 21/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 13.7.2000 द्वारा अंतःस्थापित।

[2] संशोधन अधिनियम क. 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) राज्य में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या भी है) महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जायेगें और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा भिन्न-भिन्न मण्डी समितियों के लिये विहित रीति में आवंटित किये जायेगे।

(6) कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिये निर्वाचन लड़ने के लिये पात्र नहीं होगा।

(7) यदि कोई मण्डी क्षेत्र, अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो उस पद को भरने के लिये नई निर्वाचन कार्यवाहियां छह मास के भीतर प्रारम्भ की जायेगी :

परन्तु मण्डी समिति के गठन की आगे और कार्यवाही अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान नहीं रोकी जायेगी :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(8) मण्डी समिति का एक उपाध्यक्ष होगा जो धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बुलाये गये मण्डी समिति के प्रथम सम्मिलन में मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उन्ही में से विहित रीति में निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यदि मण्डी समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रुप में निर्वाचन के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कृषक न हो।

(9) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रत्येक निर्वाचन कलक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा[1]।

[1]{ धारा 12-क

अभिलेखों तथा सम्पत्ति का कब्जा लेना-

(1) जहाँ कलक्टर का यह समाधान हो जाये कि किसी मण्डी समिति की पुस्तकों तथा अभिलेखों का दबा दिया जाना, बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है या किसी मण्डी समिति की निधियों तथा सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया जाना या दुरुपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहाँ कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसको कि अधिकारिता के भीतर वह मण्डी समिति कृत्य कर

[1] संशोधन अधिनियम क, 18/1979 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 7.6.79 पृ. 1961-1965 द्वारा अंतस्थापित।

रही हो, मण्डी समिति के अभिलेखों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण करने तथा कब्जा लेने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उपनिरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी भी ऐसे स्थान में, जहाँ कि ऐसे अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी हुई हो या जहां कि उनका रखा जाना सम्भाव्य हो, प्रवेश करे तथा उसकी तलाशी ले और उनका अभिग्रहण करके उनका कब्जा यथास्थिति कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को सौंप दे।

[1]{धारा 13.

प्रथम सम्मिलन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उनके द्वारा त्याग पत्र और उनके पद में रिक्ति-

(1) मण्डी समिति का प्रथम सम्मिलन अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन के परिणामों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर कलेक्टर द्वारा बुलाया जायेगा।

(2) मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य मण्डी समिति के प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेगें :

[3]''परन्तु यदि मण्डी समिति का अवसान हो जाने पर नई मण्डी समिति का गठन नही किया जाता है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मंडी समिति की अवधि में वृद्धि ऐसे अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुये छह मास की कालावधि के लिये कर सकेगी और यदि नई मंडी समिति का गठन इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नही किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है और उस दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होंगे.''.

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय कलेक्टर को लिखित में संबोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र कलेक्टर द्वारा उसके स्वीकार किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, पंचायत या किसी सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) के रुप में निर्वाचित है, यदि वह मण्डी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रुप में निर्वाचित हो जाता है या इसके विपरित निर्वाचित अर्थात मण्डी समिति में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उक्त निकायों का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, तो वह लिखित में एक सूचना द्वारा, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो [2]{कलेक्टर} को ऐसी तारीख के या उसी तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख के, जिसको कि वह उस रुप में

[1] अधिनियम क, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 पृ. 568(14)-568(26)

[3] अधिनियम क. 4/2005 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 14 मार्च 2005 पृष्ठ क. 156.

[2] संशोधन अधिनियम क, 28/2001 द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 27.10.2001 में प्रकाशित। म0प्र0 अधिनियम क. 28 सन् 2001 द्वारा संशोधन राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27.10.2001 के पृष्ठ 1222 पर प्रकाशित एवं दिनांक 27.12.2001 में प्रवृत हुआ।

निर्वाचित हुआ है, तीस दिन के भीतर परिदत्त की जायेगी, यह ज्ञापित करेगा कि वह किस पद को धारण करना चाहता है और तदुपरि ऐसे अन्य निकाय में, जहाँ पद धारण नही करना चाहता है, वहाँ उसका स्थान रिक्त हो जायेगा और पूर्व कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना देने में व्यतिक्रम करने पर, उस कालावधि के समाप्त होने पर, मण्डी समिति में उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने या उसको हटाये जाने या उपधारा (4) के अधीन रिक्ति हो जाने या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दिशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम के तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा छह मास के भीतर भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अवधि के अनवसित भाग के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु यदि ऐसे पद की शेष कालावधि छह मास से कम है तो ऐसी रिक्ति नही भरी जायेगी।

(6) अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्यागप् दिये जाने या उसको हटा दिये जाने या अन्यथा अध्यक्ष के पद में रिक्ति हो जाने की दशा में, उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो इस अधिनियम मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का ऐसा सदस्य, जिसे कलेक्टर नियुक्त करे, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का पालन तब तक करेगा जब तक कि अध्यक्ष सम्यक् रुप से निर्वाचित नही हो जाता'।

धारा 14.
मूल अधिनियम की धारा 14 का लोप किया।

अध्याय 4
मण्डी समिति के काम-काज का संचालन और उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य

धारा 15.
मण्डी समिति के सम्मेलन की प्रकिया तथा गणपूर्ति -

मण्डी समिति के सम्मिलन की प्रक्रिया तथा उसकी गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाये।

(ख) समामेलित किए गए मण्डी-क्षेत्रों के लिए नवीन मण्डी समिति का गठन कर सकेगी; या

(ग) किसी विद्यमान मण्डी-क्षेत्र को विपाटित कर सकेगी और ऐसे क्षेत्रों के लिए यथास्थिति दो या अधिक मण्डी समितियों का गठन कर सकेगी; या

(घ) मण्डी को बन्द कर सकेगी।

72. Powers of State Government to issue consequential order with respect to constitution, etc. of Market Committees on alteration of limits amalgamation or splitting up.-(1) Where a notification under Section 71 has been issued the State Government may issue such consequential orders as it may deem fit in respect of,-

(a) the constitution of the Market Committee for the altered area where a local area has been included or excluded from market area;

(b) the dissolution of the existing Market Committees which have been amalgamated and the constitution of the amalgamated Market Committee thereafter where two or more Market Committees are amalgamated;

(c) the dissolution of the Market Committee split up and the constitution of the Market Committees established in its place thereafter and matters,ancillary thereto.

[1][(2) Consequent to the orders passed in accordance with the provisions of clauses (b) and (c) of sub-section (1), the State Government shall by notification constitute a committee-in-charge for newly established market during the period of pendency of the constitution of the Market Committee.

(3) In the event of amalgamation of dissolved Market Committees, the committee-in-charge shall consist of.the following members, namely,-

(a) a Chairman to be nominated by the State Government from amongst the elected Chairman of dissolved Market Committees;

(b) ten representatives of agriculturists to be nominated by the State Government from amongst the elected representatives of agriculturists of dissolved Market Committees;

(c) one representative of traders to be nominated by the State Government from amongst the elected representatives of traders of dissolved Market Committees;

1. Substituted for sub-section (2) by M.P. Act No. 15 of 2003 (w.e.f. 28.04.2003).

(d) a Member of the State Legislative Assembly elected from the district, to be nominated by the State Government who may nominate his representative for the purpose of attending the meeting of the Market Committee;

(e) one representative of the Co-operative Marketing Society functioning in the market area who shall be elected by the Managing Committee of such society;

(f) an officer of Agriculture Department working in the district to be nominated on the recommendation of the Collector;

(g) one member of the Weighmen and Hammals operating in the market area holding licence from the Market Committee to be nominated on the recommendation of the Chairman;

(h) Chairman of the District Central Co-operative Bank;

(i) Chairman of the District Land Development Bank;

(j) one member of Gram Panchayat or Janpad Panchayat or Zila Panchayat to be nominated on the recommendation of the Chairperson of the Zila Panchayat.

(4) (a) Where in case of split up of a Market Committee, each committee-in-charge consisting of a Chairman, ten representatives of agriculturists and a representative of traders shall be constituted :

Provided that,-

(i) Chairman of the dissolved Market Committee shall be nominated Chairman of the newly established Market Committee of which he is a voter and for the other Market Committee, the State Government shall nominate a Chairman who possesses the qualifications prescribed in sub-sections (2) and (3) of Section 11-B;

(ii) Representatives of agriculturists of dissolved Market Committee shall also be nominated as member of newly established Market Committee of which he is a voter and remaining representatives of the agriculturists shall be nominated by the State Government who possesses the qualifications prescribed in sub-sections (1), (2) and (3) of Section 11-B;

(iii) Representative of traders of the dissolved Market Committee shall be nominated as a member of the newly established

Market Committee of which he is a voter and for the other Market Committee, the State Government shall nominate such licensee trader as representative of traders who possesses the qualifications prescribed in clause (c) of sub-section (1) of Section 11;

(b) A Member of the State Legislative Assembly elected from the district, nominated by the State Government who may nominate his representative for the purpose of attending the meeting of the Market Committee;

(c) One representative of the Co-operative Marketing Society functioning in the market area who shall be elected by the Managing Committee of such society;

(d) An officer of the Agriculture Department working in the District to be nominated on the recommendation of the Collector;

(e) One member of the Weighmen and Hammals operating in the market area holding licence from the Market Committee to be nominated by the Chairman;

(f) Chairman of the District Central Co-operative Bank;

(g) Chairman of the District Land Development Bank;

(h) One member of Gram Panchayat or Janpad Panchayat or Zila Panchayat to be nominated on the recommendation of the Chairperson of the Zila Panchayat.

(5) The committee-in-charge constituted under sub-section (2) shall subject to the control of the Managing Director, exercise all the powers and perform all the duties of the Market Committee under this Act.]

72. सीमाओं का परिवर्तन, समामेलन या विपाटन होने पर मण्डी समितियों के गठन आदि के सम्बन्ध में पारिणामिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति-(1) जहाँ धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, वहाँ राज्य सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे पारिणामिक आदेश दे सकेगी जैसे कि वह उचित समझे,-

(क) परिवर्तित क्षेत्र के लिए मण्डी समिति का गठन जब कि कोई स्थानीय क्षेत्र किसी मण्डी-क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हो या उसमें से अपवर्जित किया गया हो;

(ख) उन विद्यमान मण्डी समितियों का, जो कि समामेलित की गई हो, विघटन और तत्पश्चात्, समामेलित मण्डी समिति का गठन जबकि दो या अधिक मण्डी समितियाँ समामेलित की गई हो ;

(ग) विपाटित की गई मण्डी समिति का विघटन और तत्पश्चात्, उसके स्थान पर स्थापित की गई मण्डी समितियों का गठन तथा उससे आनुषंगिक बातें।

[1][(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) के उपबंधों के अनुसार पारित किए गए आदेश के परिणामस्वरूप राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मण्डी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि के दौरान स्थापित की गई नई मण्डी के लिए एक भारसाधक समिति का गठन करेगी.

(3) विघटित मण्डी समितियों के समामेलन की दशा में, भारसाधक समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) एक अध्यक्ष जो विघटित मण्डी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) दस कृषक प्रतिनिधि जो विघटित मण्डी समितियों के निर्वाचित कृषक प्रतिनिधियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) एक व्यापारी प्रतिनिधि जो विघटित मण्डी समितियों के निर्वाचित व्यापारी प्रतिनिधियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(घ) राज्य विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जो मण्डी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(ङ) मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी विपणन सोसाइटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(च) जिले में कार्यरत् कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलक्टर की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(छ) मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य जो अध्यक्ष की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ज) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष;

(झ) जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष;

(ञ) ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य जो जिला पंचायत के अध्यक्ष की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) (क) मण्डी समिति के विघटन की दशा में, प्रत्येक भारसाधक समिति एक अध्यक्ष, दस कृषक प्रतिनिधि तथा एक व्यापारी प्रतिनिधि से मिल कर गठित की जाएगी :

परन्तु,-

(एक) विघटित मण्डी समिति का अध्यक्ष स्थापित की गई उस नई मण्डी समिति का नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष होगा जिसका वह मतदाता हो तथा अन्य मण्डी समिति के

1. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 सन् 2003 द्वारा (दिनांक 28.04.2003 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

लिए राज्य सरकार एक अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी जो धारा 11-ख की उपधारा (2) और (3) में विहित अर्हताएं रखता हो;

(दो) विघटित मण्डी समिति के कृषक प्रतिनिधि उस नवगठित मण्डी समिति के सदस्य के रूप में भी नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनके वे मतदाता हैं तथा शेष कृषक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो धारा 11-ख की उपधारा (1), (2) तथा (3) में विहित अर्हताएँ रखते हों;

(तीन) विघटित मण्डी समिति के व्यापारियों के प्रतिनिधि को उस नवगठित मण्डी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसका वह मतदाता है तथा अन्य मण्डी समिति के लिए राज्य सरकार, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी जो धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में विहित अर्हताएं रखते हों;

(ख) राज्य विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जो मण्डी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी विपणन सोसाइटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(घ) जिले में कार्यरत् कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलक्टर की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ङ) मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(च) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष;

(छ) जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष;

(ज) ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य जो जिला पंचायत के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(5) उपधारा (2) के अधीन गठित भारसाधक समिति, प्रबन्ध संचालक के नियंत्रणाधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा समस्त कर्तव्यों का पालन करेगी।]

73. **Effect of alteration of limits.**-Where a notification under Section 71 has been issued excluding any area from the market area and including any such area in any other market area the State Government shall after consulting the Market Committee frame a scheme to determine what portion of the assets and other properties vested in one Market Committee shall vest in the other Market Committee

निर्वाचन तत्काल

253

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

ई–मेल : mandi.election@gmail.com
बेवसाईट : www.mpmandiboard.org

दूरभाष : 0755 - 2553429, 4082128
फैक्स : 0755 - 2553082

क्रमांक/मण्डी निर्वा./बी–6/2-1/1155
पार्ट 2

भोपाल, दिनांक 21/11/2012

प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(मण्डी)
जिला .... (समस्त)
(म.प्र.)

विषयः–26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान एवं व्यतिक्रमी के संबंध में मार्गदर्शन।

00–00

कतिपय जिलों से जिला एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कृषक/व्यापारी प्रतिनिधियों के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय दो संतान के संबंध में शपथ–पत्र प्राप्त करने तथा व्यतिक्रमी के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

इस संबंध में लेख है कि म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11–ख(2)(गग) में स्पष्ट उल्लेख है कि "उसकी दो से अधिक जीवित संतान नहीं है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, परन्तु कृषकों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा पदधारण करने से निरर्हित हो जाएगा यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाए जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है।"

इसी प्रकार अधिनियम की धारा 11(1)(ग) के द्वितीय एवं तृतीय परन्तुक में स्पष्ट उल्लेख है कि– "परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति मण्डी समिति के व्यापारियों का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो।

परन्तु यह भी कि व्यापारी का कोई भी प्रतिनिधि ऐसा पदधारण करने से निरर्हित हो जाएगा। यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात एक संतान का जन्म हो जाए जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है"।

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति निरर्हित माने जायेगें।

इसी प्रकार व्यापारी प्रतिनिधि के संबंध में मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(ग) में "वह मण्डी समिति का व्यतिक्रमी नहीं हो" का उल्लेख है। व्यतिक्रमी का आशय यह है कि जिसकी ओर मण्डी समिति की ओर से कोई बकाया न हो। स्पष्टीकरण में शब्द "भी" होने से म.प्र. निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 के उपबंधों के अनुसार

निर्वाचन तत्काल

254

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

ई–मेल : mandi.election@gmail.com
वेबसाईट : www.mpmandiboard.org

दूरभाष : 0755 - 2553429, 4082128
फैक्स : 0755 - 2553082

जो राशि का भुगतान किया जाना है वह न करने से भी वह व्यतिक्रमी की श्रेणी में आएगा। यदि किसी व्यापारी पर आडिट आपत्ति है तो जब तक उसका निराकरण नहीं होता है वह बकाया की श्रेणी में नहीं आएगा।

अतः नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय उपरोक्त बिन्दुओं एवं मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(ग) व 11–ख(2)(गग) तथा निर्वाचन नियम 82 का अवलोकन कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

(दीपक देशपाण्डे)
अपर संचालक(निर्वाचन)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ. क्रमांक / मण्डी निर्वा. / बी–6 / 2 / 1 / 1136
भोपाल, दिनांक 21 / 11 / 2012

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक / उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल / उज्जैन / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर / सागर / रीवा।
3. भारसाधक अधिकारी / सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ....(समस्त) जिला ....।

अपर संचालक(निर्वाचन)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल